



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270123  
CG-DL-E-13022026-270123

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 122]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 128(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये तारीख 1 जुलाई 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम (10) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(10क) आयातित उत्पादों का विक्रय करने वाली प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई ऐसे आयातित उत्पादों की उत्पाद सूचियाँ, मूल देश को निर्दिष्ट करने वाले खोज योग्य और क्रमबद्ध फिल्टर में उपलब्ध कराएगी"

[फा. सं. I-9/5/2023- डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 202 (अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 881 (अ) तारीख 2 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2026

**G.S.R. 128(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2026.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 6, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(10A) Every e-commerce entity selling imported products shall provide the product listings of such imported products in a searchable and sortable filter specifying the country of origin.”.

[F. No. I-9/5/2023-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended vide number G.S.R. 881(E), dated 2<sup>nd</sup> December, 2025.